पुष्पाई बाई विरूद्ध म.प्र. शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3134 दो / 14

जिला – बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-9-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं समयसीमा के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण शासकीय भूमि जो वंटन में प्राप्त हुई थी के अंतरण की अनुमति दिए जाने के संबंध में है । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिलाध्यक्ष द्वारा दिनांक 7–12–12 को आवेदक का भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक ने पुनरावलोकन पेश किया जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । शासकीय भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने के लिए जब तक कोई ठोस आधार न हों विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्योंकर दूषित है । अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, जबलपुर कैम्प जबलपुर (म0प्र0)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक /2014

आवेदिका : पुष्पां बाई पति हिरेन्द्र कुमार जाति महार,
निवासी–ग्राम मांझापुर तहसील लालबर्रा,
जिला बालाघाट (म0प्र0)

बनाम

अनावेदक : मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट
जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता

श्री एम.के. सोनी
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
01 AUG 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1105

387

आवेदिका न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर बालाघाट द्वारा प्रकरण कमांक 21–अ/21/2012–13 ग्राम मांझापुर में पारित आदेश दिनांक 07/12/2012 एवं पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 16/08/2013 से परिवोदित होकर एवं न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त संभाग आयुक्त जबलपुर संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 228/अ–21/2013–14 पुष्पा बाई बनाम म0प्र0 शासन में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील को वापिस लेने के पश्चात विधि अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात, आवेदिका निम्न तथ्य एवं आधारों पर अपनी यह पुनरीक्षण याचिका माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करती है।

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

OATH COMMISSIONER
Smt. SUMAN SONI
20/7/14
JABALPUR

1. यह कि, आवेदिका के ससुर इंदल पिता तुलाराम जाति महार, निवासी ग्राम मांझापुर, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट को, प.ह.नं. 14/76, रा.नि.मं.–कनकी, विकास खण्ड लालबर्रा, तहसील लालबर्रा जिला बाघाट में स्थित भूमि जिसका खसरा नं. 4/4, रकवा 0.733 हे. था, उपरोक्त आवेदित भूमि वर्ष 1975–76 में शासकीय पट्टे पर प्राप्त हुई थी।

2. यह कि, उक्त आवेदित भूमि का पट्टा मिलने के पश्चात् आवेदिका के ससुर का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी हक कैफियत के दर्ज किया गया। इसके पश्चात् आवेदिका के ससुर इंदल की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके इकलौते पुत्र हिरेन्द्र कुमार का नाम आवेदित भूमि के संदर्भ में वर्ष 1993 में भूमि स्वामी